पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 581/2017

1. कैलाश चन्द पुत्र श्री अर्जुन लाल
2. रोहिताश चन्द पुत्र श्री अर्जुनलाल
3. प्रभाती देवी पत्नी श्री अर्जुनलाल
4. प्रेमदेवी पुत्री श्री अर्जुनलाल

समस्त जाति कुम्हार, निवासी नौरंगपुरा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।

– वादी/अपीलान्ट्स–

बनाम

1. राजकीय प्राथमिक विद्यालय कूकडैला जरिये प्रधानाध्यापक राज. प्रा. विद्यालय कूकडेला, पं.सं. विराटनगर, जिला जयपुर।

2. ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी पं. सं. विराटनगर जिला जयपुर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

–प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट्स –

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री रामबाबू पारीक अपीलांट की ओर से।

2– रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

:– निर्णय :– दिनांक :–20–04–2018

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर जयपुर दिनांक 28.06.2017 प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलान्टस ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कूकडेला के हाल खसरा नम्बर 2284/1262 रकबा 0.84 हैक्टै0 की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 2284/1262 से लगता हुआ खसरा नम्बर 1262/0.40 हैक्टै0 सिवायचक भूमि नौरंगपुरा की सीमा से लगती हुई है। जो ग्राम कूकडेला की आबादी से 1 से 1 1/2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। खसरा नम्बर 1262 का मूल रकबा 1.24 हैक्टै0 रहा है। जिसमें वादी संख्या 1 व 2, 4 के पिता एवं 3 के पति अर्जुन पुत्र चूना कुम्हार को 0.84 हैक्टै0 भूमि का नियमन/अलॉटमेंट हुआ है तथा मौके पर उसका पृथक से कब्जा सम्भलाया जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम भी कर दी गई है। जिसके मुताबिकम बतरफ उत्तर की 0.84 हैक्टै0 भूमि का खसरा नम्बर 2284/1262 एवं दक्षिण की 0.40 हैक्टै0 भूमि का खसरा नम्बर 1262 नक्शा ट्रेस में तरमीम किया हुआ है। प्रंतिवादी संख्या 1 विद्यालय के खेल मैदान की भूमि के लिए विद्यालय प्रशासन ने राजस्व शिविर प्रशासन गांवों के संग अभियान में शिविर प्रभारी के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश किया तथा बिना मौका स्थिति एवं कब्जे काश्त की स्थिति देखे वादीगण के कब्जे काश्त की एवं खातेदारी भूमि की स्थिति के विपरीत पंचायत ने भी प्रस्ताव पास कर दिया तथा शिविर प्रभारी ने प्रतिवादी संख्या 1 के हक में खसरा नम्बर 1261/0.11, 1262/0.40 हैक्टै0 भूमि का आंवटन आदेश क्रमांकः राजस्व/प्रगाकेस/2013/1176–81 दिनांक 31.01.2013 के द्वारा रिकॉर्ड में जरिये राजस्व कर्मचारियों ने जो नक्शा आवंटन हेतु प्रस्ताव के साथ भेजा उसमें वादीगण के खसरा नम्बर 2284/1262/0.81 हैक्टै0 को तरमीम एवं खसरा नम्बर को नहीं दिखाकर सम्पूर्ण भूमि को ही खसरा नम्बर 1262 के रूप में गलत दिखाया है जबकि राजस्व रिकॉर्ड पटवारी के नक्शा शीट में तरमीम हुई है। वादीगण अपनी खातेदारी भूमि हाल

है। उक्त तथ्यों की अनेदखी करते हुए पूर्व में नक्शा शीट में की गई तरमीम के विपरीत उत्तर का भाग खसरा नम्बर 1262 एवं दक्षिण का भाग 2284/1262 के रूप में तरमीम की है, जो गलत एवं काबिल दुरूस्ती है। अतः निवेदन है कि मूल खसरा नम्बर 1262 पूर्ववत दुरूस्त किया जावे एवं तदनुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की अमल दरामद करवाई जावे साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण को उनके हक हिस्से, अधिकार एवं खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल कर खुद कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण, बाउण्ड्रीवाल नहीं लगायें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.06.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में कथन किया गया है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के पूर्णतया प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। वादी अपीलान्ट ने अपने वाद पत्र व बहस में स्पष्ट रूप से निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 1262 जिसका मूल रकबा 1.24 हैक्टै0 वाके ग्राम कूकडेला में से 0.84 हैक्टै0 स्व. अर्जुनलाल पुत्र चुन्नाराम कुम्हार को सन् 2001 में नियमन/अलॉटमेन्ट हुआ था जो आराजी खसरा नम्बर 1262 का उत्तरी हिस्सा था जिसका मौके पर स्व. अर्जुन को कब्जा दिया जाकर तरमीम भी कर दी गई थी और उसके हिस्से पर 2284/1262 नम्बर डाल दिया था और गैर खातेदारी का नामान्तरकरण भी खोल दिया था जिस पर स्व. अर्जुन ने अथक मेहनत व पैसा लगार भूमि को उन्नत किया जिसकी खातेदारी का नामान्तरकरण भी खुल चुका है। अधीनस्थ न्यायालय ने समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपने जवाब दावे में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की सत्यता को नकारा नहीं है बल्कि इतना सा अंकन किया है कि उसे तथ्यों की जानकारी नहीं है योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1262 के संबंध में रिपोर्ट भी तहसीलदार से तलब की थी जिसमें भी स्पष्ट रूप से अंकन है कि आराजी खसरा नम्बर 1262 के उत्तरी भाग पर कब्जा काश्त अर्जुन पुत्र चुन्ना जाति कुम्हार का है ऐसी परिस्थितियों में भी वादी/अपीलान्टस का वाद काबिले डिक्री था। वादी अपीलान्ट ने अपने वाद को साबित करने हेतु अपनी दस्तावेजी साक्ष्य में नक्शा ट्रेस हाल दिनांक 07.10.2016, नक्शा ट्रेस हाल दिनांक 27.01.2014, नकल खसरा गिरदावरी 2284/1262 संवंत 2069, नकल जमाबन्दी संवंत 4 संवंत 2069 से 2072 एवं नकल आदेश भू आवंटन दिनांक 31.01.2013 मय सम्पूर्ण पत्रावली प्रस्तुत किया था। जिससे की वादी अपीलान्टस का वाद काबिले डिक्री था लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर सही रूप से गौर नहीं फरमाते हुए अपीलाधीन निर्णय डिक्री पारित करने में सरासर भंयकर गलती की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के विचारण की प्रक्रिया को नहीं अपनाया है यह वाद राजस्व लोक अदालत में सुनवाई योग्य नहीं था। इसमें कोई तनकियात भी नहीं बनाई गई तथा मोखिक साक्ष्य भी नहीं ली गई है। मौके पर विवादग्रस्त भूमि पर वादी/अपीलान्टस ने अपने पानी के होंद काफी वर्षो से बना रखे है। व अथक मेहनत लगाकर भूमि को समतल कर उपजाऊ बना रखा है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सरसरी तौर पर निरस्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.06.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

.4– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से दिनांक 07–03–2018 को ब्लॉक प्रारम्भिक अधिकारी विराटनगर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए परन्तु बरवक्त बहस रेस्पोडेंट अनुपस्थित रहें। अधीनस्थ न्यायालय की .पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस अपीलान्ट सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील बहस में अपील मीमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गय कि मूल खसरा नम्बर 1262 रकबा 1.24 हैक्टै0 में से 0.84 हैक्टै0 भूमि स्व. अर्जनलाल को आवंटित हुई थी तथा वाद आवंटन भूमि का कब्जा खसरा नम्बर 1262 की उत्तरी दिशा में प्राप्त कर वे अर्जुनलाल जो वादीगण

गई है जो कि खसरा नम्बर 1262 के उत्तरी दिशा में की गई है तथा जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पटवारी द्वारा दिनांक 27–1–2014 को जारी की गई है जो कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलान्ट वादीगण द्वारा उक्त भूमि में सुधार किये जाकर काबिल काश्त बनाया गया है तथा पेड–पौधे आदि लगा रखे हैं एवं काश्त करता आ रहा है। तत्पश्चात् अवैधानिक रूप से खसरा नम्बर 2284/1262 की तरमीम मूल खसरा नम्बर के दक्षिणी दिशा में की गई है तथा अपीलान्ट को इस हेतु न तो सुना गया है न ही मौके की जांच की गई है। पटवारी द्वारा उक्त तरमीम की प्रतिलिपि दिनांक 07–10–2016 को जारी की गई है जो अवैध है। अपीलान्टस को विद्यालय को भूमि आवंटन किये जाने के संबधं में कोई आपत्ति नहीं है परन्तु जो विद्यालय को आवंटित भूमि की तरमीम की गई है वह अनुचित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज खारिज किया गया है वह उन्हें साक्ष्य सबूत का अवसर दिये वगैर पारित किया गया है तथा उक्त निर्णय निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्त कथन कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28–06–2017 को निरस्त फरमाये जाने एवं वादी का वाद डिक्री फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है।

6– अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें मुख्य विवाद तरमीम को लेकर है। वादीगण का कथन है कि उनको खसरा नम्बर 1262 में से आवंटित 0.84 हैक्टै0 भूमि की तरमीम मूल खसरा नम्बर के उत्तरी साईड में की गई है। शेष भूमि मूल खसरा नम्बर 1262 के रूप में 0.40 हैक्टै0 रही है जो कि दक्षिणी की साईड है। वादीगण का यह भी कथन है कि वे उत्तर की तरफ ही काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार तरमीम भी की गई है परन्तु जो 0.40 हैक्टै0 भूमि राजकीय प्राथमिक स्कूल कुकडेला को आवंटित की गई है उसकी तरमीम गलत रूप से प्रार्थी की कब्जा काश्त की भूमि में कर दी गई है जो कि गलत है। वादीगण द्वारा उक्त कथन कर तरमीम दुरूस्त किये जाने तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2017 में यह अंकित किया है कि "पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा जारी नक्शे की नकल दिनांक 27–1–2014 का मिलान नक्शा पुश्त से किया गया, नक्शा पुश्त मिलान से स्पष्ट है कि नकल नक्शा ट्रेस दिनांक 27–01–2014 नक्शा पुश्त, दर्ज नजरी नक्शा अनुसार सही नहीं है, मुताबिक नक्शा ट्रेस की नकल दिनांक 27–10–2016 पुश्त तरमीम की गई, जो सही है। अतः वादी का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाना न्यायसंगत है।" इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय मात्र इस आधार पर पारित किया गया है कि जो पूर्व में तरमीम की जाकर दिनांक 27–01–2014 को पटवारी हल्का द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की गई है वह नामान्तरकण की पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शे के विपरीत तरमीम की गई है इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके का कब्जा काश्त आदि के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायाल की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार विराटनगर द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि खसरा नम्बर 62 में से पूर्व में अर्जुनलाल पुत्र चूनाराम जाति कुम्हार को 0.84 हैक्टै0 आवंटित हुई थी जो इनके नाम दर्ज रिकॉर्ड है एवं उक्त खातेदार को मौके पर कब्जा सुपूर्द किया गया। तहसीलदार द्वारा यह भी अंकित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1262 के उत्तरी भाग पर कब्जा काश्त अर्जुनलाल पुत्र चूनाराम जाति कुम्हार का है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा ट्रेस की प्रतिलिपि दिनांक 27–01–2014 से स्पष्ट है कि वादीगण की भूमि मूल खसरा नम्बर 1262 के उत्तरी तरफ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह मौके की कब्जा काश्त की जांच किये वगैर पारित किया गया है। मात्र नामान्तरकरण की पुश्त पर दर्ज नजरी नक्शे के आधार पर निर्णय

पारित किया जाना उचित नहीं है। पूर्व में जो खसरा नम्बर 2284/1262 की तरमीम की गई है उक्त तरमीम को मौका जाचं किये बिना अनुचित नहीं ठहराया जा सकता है। मूल खसरा नम्बर 1262 में से वादीगण का आवंटन विद्यालय को किये गये आवंटन से पूर्व का है तथा वादीगण मौके पर काबिज काश्त है। वादीगण का कथन है कि उनके द्वारा भूमि में सुधार कार्य किये गये हैं, पानी की टंकी व हौद बने हुए है तथा देशी बबूल व नीम के पेड है। वादीगण के उक्त कथनों की कोई जांच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करवाई गई है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय व डिक्री सारभूत विधिक त्रुटि से ग्रसित है तथा यह बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं एवं अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

7– अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28–06–2017 निरस्त किये जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर कब्जा काश्त की जांच की जाकर तथा उभय पक्ष को सुना जाकर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित किया जावे।

8– निर्णय आज दिनांक 20–04–2018 को सुनाया

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर